

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,  
होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-5

देहरादून : दिनांक 19 जून, 2008

विषय : होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को पुनरीक्षित किये जाने के संबंध में  
महोदय,


उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सीजी-1/होगा/2001/163, दिनांक 21-03-2008 एवं शासनादेश 678/XX(5)05- 11-होगा/02, दिनांक 14-11-2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को दिनांक 01-6-2008 से निम्नवत् पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

	वर्तमान दर	पुनरीक्षित दर
1-जनपदीय ड्यूटी के लिए	रु0 100/-प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन	रु0 120/-प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन
2-अन्तर्जनपदीय ड्यूटी के लिए	रु0 100/-प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन	रु0 120/-प्रति होमगार्ड्स प्रतिदिन

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 की अनुदान संख्या-06 केलेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-00-107-होमगार्ड्स-03-सामान्य अधिष्ठान की मानक मद 02-मजदूरी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-142/XNP/XXVII-5/2008, दिनांक 18 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

  
(भास्करानन्द)  
अपर सचिव।